



प्रेषक,

विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
अयोध्या, कानपुर, मेरठ, बांदा ।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग**लखनऊ: 16 मार्च, 2026**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों के शोध कार्यक्रमों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक शोध, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के पत्रांक: ए.एन.डी.यू.ए.टी.03/2025/37, दिनांक 30.04.2025, कुलपति, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा के पत्रांक:वीसी/2025/67, दिनांक 07.05.2025, निदेशक शोध, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के पत्रांक:सवप/2025/नि0शो0/4859, दिनांक 07.05.2025 एवं निदेशक, शोध, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के पत्रांक:88/डी0आर0/2025, दिनांक 08.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों में शोध कार्यक्रमों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों में शोध कार्यक्रमों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित धनराशि ₹0 2500.00 लाख में से निम्न तालिकानुसार ₹0 998.28 लाख (रूपये नौ करोड़ अठानवे लाख अठ्ठाइस हजार मात्र) प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि ₹0 323.96 लाख (रूपये तीन करोड़ तेइस लाख छियानवे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	शोध कार्यक्रम का नाम	शोध प्रभारी का नाम	अनुमोदित धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति	शोध कार्यक्रम की अवधि	शोध कार्यक्रमों हेतु निर्गत प्रथम किश्त की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा	(1)Formulation Development of nematode-trapping fungi and its application strategies for management of root knot nematodes in Agricultural and Horticulture crops.	Dr. Dharmendra Kumar	75.97	03 वर्ष	25.32
		(2) Innovative Applications of Rotating Packed Bed (RPB) Technology in Agriculture Farm Wastewater Treatment to Nutrient Recovery and Emission Control.	Dr. Sandeep Kumar	225.00	03 वर्ष	75.00
2	सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक	(3)Development of An Image-Based Biometric Framework for Precision Breeding Management in Chickens	Dr. Kuldeep Kumar Tyagi, Professor	39.35	01 वर्ष	19.68
		(4)Design and Development	Dr. Vineet	116.65	03 वर्ष	38.88

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

	विश्वविद्यालय, मेरठ	of Artificial Intelligence- Based Self-propelled Automatic Cauliflower and Cabbage Harvester	Kumar Sharma			
		(5) Design and Development of Integrated Solid oxide Electrolyzer cells (SOEs) and Gasification for Green Hydrogen Production form Agriculture Residue- Derived Emissions.	Dr. Pravin Kumar	224.09	03 वर्ष	74.69
3	आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या	(6) Assesment of dietary inclusion of Moringa oleifera leaves on performance of black bengal and beetal goats eastern Uttar Pradesh.	Dr. Ajeet Kumar Verma, Asstt. Professor,	89.82	02 वर्ष	44.91
		(7) Isolation and Characteization of Probiotic Bacteria from the Gastro- intestinal Tract of Labeo rohita and their Dietary effect on Immune and Biochemical responses in cultivable fishes of eastern Uttar Pradesh.	Ms. Arya Singh, Asstt. Professor.	113.00	05 वर्ष	22.60
4	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर	(8) Development of Mungbean (Vigna radiate L. wilczek) Climate Resilient Varieties For Tolerance to High Temperature Regimes and Photo period Insensitivity.	Dr. Manoj Katiyar, Prinicipal Investigator.	26.40	05 वर्ष	05.28
		(9) Vegetable Pea Improvement Through Conventional Breeding.	Dr. Keshav Arya, Professor/ Principal Investigator.	88.00	05 वर्ष	17.60
		योग-		998.28	-	323.96

नियम व शर्त/प्रतिबन्ध

1. प्रश्नगत शोध कार्यक्रम हेतु निर्गत धनराशि का उपयोग संबंधित शोध के संचालन हेतु ही किया जायेगा। अन्य किसी शोध में धनराशि का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा।
2. स्वीकृत धनराशि आहरित कर बैंक/डाक घर में नहीं रखी जायेगी।
3. प्रश्नगत शोध कार्यक्रम के संचालन हेतु धनराशि आहरित करने के पूर्व संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत शोध योजना की द्वावृत्ति/पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तथा प्रश्नगत शोध योजना अन्य किसी योजना से अनुदानित / सहायतित नहीं है।
4. प्रश्नगत शोध कार्यक्रम के संचालन हेतु आई.सी.ए.आर. द्वारा निर्धारित शोध मानको एवं प्रोटोकाल का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
5. आवंटित धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही अनिवार्य रूप से किया जायेगा। योजना हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से प्राप्त की जायेगी।
6. शोध कार्यक्रमों हेतु निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति का पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय के कुलपति तथा निदेशक शोध एवं योजना प्रभारी का होगा।
7. स्वीकृत धनराशि से आवश्यक उपकरणों आदि का क्रय संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। केवल उन्हीं उपकरणों को क्रय किया जायेगा जो शोध के लिए नितांत आवश्यक हो और विश्वविद्यालय में पूर्व से उपलब्ध न हो। यही प्रतिबन्ध मानव संसाधन एवं सेवाओं के संदर्भ में योजना अवधि तक रहेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

8. शोध कार्यक्रम के संचालन हेतु धनराशि आहरित किये जाने से पूर्व विश्वविद्यालय के कुलपति तथा वित्त नियंत्रक का यह पूर्ण दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्नगत शोध का संचालन पूर्व में नहीं किया गया है।
 9. प्रश्नगत शोध के संचालन के पूर्व योजना के संचालन की आवश्यकता एवं औचित्य अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
 10. प्रश्नगत शोध कार्यक्रम हेतु भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण करते हुये विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
 11. प्रश्नगत शोध में आगामी किश्त की मांग करते समय से शोध कार्यक्रम में प्राप्त लक्ष्य की पूर्ति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए।
 12. प्रश्नगत शोध के संचालन हेतु निर्धारित लक्ष्यों के सम्बन्ध में पृथक से योजनावार विवरण रखा जायेगा।
 13. उक्त अनुदान के देयक कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति और वित्त नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होंगे। इस देयक पर संबंधित मण्डलायुक्त द्वारा प्रति हस्ताक्षर और संबंधित कोषाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।
 14. कुलपति/वित्त नियंत्रक अनुदान की धनराशि का आहरण करने के उपरांत सचिव, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद को सूचित करेंगे तथा प्रपत्र बी.एम. में मासिक सूचना भी उपलब्ध करायेंगे।
 15. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- इस संबंध में होने इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,23,96,000 (रुपये तीन करोड़ तेईस लाख छियानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 011 लेखा शीर्षक 2415801202300** कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में शोध कार्यक्रम **मानक मद 20** सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधित्वित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विनोद कुमार वर्मा,

अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उओप्र०, प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उओप्र०, लखनऊ/प्रयागराज ।
3. मण्डलायुक्त / कोषाधिकारी, अयोध्या, कानपुर, मेरठ, बांदा ।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उओप्र०, लखनऊ ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या, कानपुर, मेरठ, बांदा ।
6. सचिव, उओप्र०, कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
8. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

विनोद कुमार वर्मा,

अनु सचिव।